

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	मण्डला जिले में ए.डी.बी.- 6/7 योजना के अन्तर्गत पदमी-रामनगर-घुघरी -सलवाह मार्ग उन्नयन/निर्माण हेतु 5.445 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 5.70 हे.) वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:- 30 / 06 / 2022
स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal